पोस्टेर्स

थिएटरों में प्रदर्शन करने वाले अश्लील पोस्टरों के संबंध में अक्सर शिकायतें पाई जाती है। चलचित्र अधिनियम 1952 में प्रत्यक्षतः अश्लील पोस्टरों के बारे में उल्लेख नहीं किया है, ये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत आती है जो अशलील प्रदर्शन से संबंधित देश की सामान्य कानून है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रशासकों के क्षेत्राधिकार में आती है खास तौर पर पुलिस जैसे कानून लागू करने वाले एजेन्सी ।

कई केन्द्र/राज्य प्रशासक उक्त विषय पर कार्रवाई करते है। महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम, 1986 का शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका भी प्रवर्तन का दायित्व स्थानीय प्राधिकारियों पर है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अश्लील पोस्टरों पर कार्रवाई करने के लिए वेस्ट बंगाल (कंपल्सरी सेंसरशिप ऑफ फिल्म पब्लिसिटी मेटीरियल्स) एक्ट 1974 लागू किया है। तमिलनाडू सरकार ने (कंपल्सरी सेंसरशिप ऑफ फिल्म पब्लिसिटी मेटीरियल्स) एक्ट 1987 लागू किया है । पोस्टरों के प्रदर्शन पर नियंत्रण करने के लिए विविध नगरपालिकाओं और नगर निगमों को अपनी व्यवस्था है। कमी इस बात की है कि इन नियमों की सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।

स्क्रीनिंग

फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस विषय पर फिल्म उद्योग स्वयं अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। तदनुसार फिल्म पब्लिसिटि कमिटि की स्थापना की, मुंबई में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूर, हैदराबाद, मद्रास और तिरुवनंतपुरम में स्थित है । समिति ने एप्रिल 1990 से कार्य शुरू किया है। ये संस्था अश्लीलता और महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन या हिंसा को बढावा देने वाले फिल्म-पोस्टरों की स्क्रीनिंग करते है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कमिटि की वर्तमान कार्यवाहियों पर नज़रअंदाज़ करने का निर्णय लिया गया है ।

नियम 38

चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 के नियम 38 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समाचार पत्र, होर्डिंग, पोस्टर, हैंडबिल्स या ट्रेलरों के माध्यम से फिल्म का विज्ञापन कर रहे हैं, तो उन्हें प्रमाणपत्र की वर्ग भी दिखाना होगा अन्यथा चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 7 के तहत संज्ञेय और अजमानती अपराध हो सकता है।